

—चौदह—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-3303(1)/11-2001-500 (35)-2000
लखनऊ, 31 मई, 2001
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-280

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 8 जनवरी, 2001 से, उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति (अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन बनाया गया विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकारी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए निष्पादित हस्तान्तरण पत्र के लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य शुल्क हस्तान्तरण पत्र के ऐसे लिखत में दिये गये प्रतिफल की धनराशि से अधिक की धनराशि पर प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. K.N.-5-3303(1)/XI-2001-500(35)-2000, dated May 31, 2001 for general information:

No. K.N.-5-3303(1)/XI-2001-500(35)-2000

Dated Lucknow, May 31, 2001

Notification

Order

In exercise of the power under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from January 8, 2001 the duty chargeable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act on the Instrument of Conveyance executed by a Development Authority Constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President Act no. 11 of 1973), as amended and re-enacted by (U.P. Act no. 30 of 1974), an Industrial Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (Act no. 6 of 1976), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (Act No. 1 of 1966), and Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation registered under the Companies Act, 1956 in favour of a person for transfer of an immovable property, to the extent of duty chargeable on the amount that exceeds the amount of consideration set forth in such instrument of conveyance.

By order,

Sd/- Illegible

T. GEORGE JOSEPH,

Pramukh Sachiv.